

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 13/2015/एलआर

1. बट्टीसिंह पिता देवीसिंह राव
निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. लालसिंह पिता देवीसिंह राव – मृतक के बजाय
 1. भंवरसिंह पिता लालसिंह राव – मृतक के बजाय
 1. गोपीसिंह पिता भंवरसिंह राव जरिये संरक्षक रामकन्या विधवा
भंवरसिंह राव निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
 2. मु. रामकन्या विधवा भंवरसिंह
निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. सरदारसिंह पिता देवीसिंह राव
4. शंकरसिंह पिता जोरावरसिंह राव
5. नारायण सिंह पिता जोरावरसिंह राव
6. निहालकंवर विधवा जोरावरसिंह राव
सभी निवासी जई तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

मैसर्स बिरला कॉरपोरेशन जरिये ईकाई मैसर्स बिरला सीमेन्ट वर्क्स
चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय न्यायालय, अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़
दिनांक 23.07.1997 प्रकरण सं. 26/1995

- उपस्थित –
1. श्री कृष्णगोपाल झंवर – अभिभाषक अपीलान्टस
 2. कैलाश चन्द्र झंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 30.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अपीलान्टस के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट ने ग्राम जई तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 225,226,227,228,229,230 को अवाप्ति हेतु धारा 89 एलआरएक्ट से आवेदन पेश किया जो बाद कार्यवाही स्वीकार किया गया उसे निर्णय के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध है चूंकि विवादित आराजी नम्बर 225,226,227,228,229,230 रेस्पोडेन्ट को माईनिंग के लिये स्वीकृत ही नहीं है जिससे उन्हें

आवेदन धारा 89 एलआरएक्ट पेश करने का अधिकार ही नहीं था इस प्रकार उक्त प्रकरण में की गयी कुल कार्यवाही क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोंडेंट के आवेदन में विवादित आराजीयात को सेफ्टी जोन बता कर अवाप्त करना बताया है जबकि माईनिंग कानून में सेफ्टी जोन बाबत कोई कानून नहीं है व इस बाबत राज्य सरकार की भी स्वीकृति नहीं है। अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं दिया गया एवं नोटिस की तामील भी नहीं कराई गई। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमा रेस्पोंडेंट का आवेदन धारा 89 एलआरएक्ट खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट की राजस्व ग्राम जई तहसील चित्तौड़गढ़ का खसरा नम्बर 225,226,227,228,229,230 जो धारा 89 के तहत माईनिंग लीज के लिये अधिग्रहित कर दी गई जिसका उद्देश्य खनन करना था जबकि यह भूमि खनन के काम में नहीं आकर मौके पर सुरक्षा के कार्य में आई है। नियमों के कही भी सुरक्षा जोन का उल्लेख नहीं है। अधिग्रहण के पेटे बाजार दर से भुगतान नहीं किया गया तत्समय की डीएलसी दर पर भुगतान किया गया है। जहां तक लिमिटेशन का प्रश्न है? अपीलान्ट पेशे से किसान है जिसके कारण दिनांक 23/07/1997 को किये गये अधिग्रहण के विरुद्ध 2015 में अपील पेश की गई है क्योंकि जब राजस्व कर्मचारी भूमि का कब्जा लेने आये तब उनकी जानकारी में आया कि निर्णय उनके विरुद्ध हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत समझौते पर न तो दिनांक है तथा न ही किसी के द्वारा पहचान की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा आरजेटी 2016 पार्ट-3 पेज 1544 की नजीर प्रस्तुत की गई है एवं निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट लिमिटेशन में मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोंडेंट ने बयान किया कि इस प्रकरण में निर्णय समझौते के आधार पर है जो फैसले की चरण संख्या 3 में उल्लेखित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09/07/1997 से भी यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर अवार्ड जारी किया गया है। अवार्ड के विरुद्ध अपीलान्ट को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करना चाहिये था। ऐसा एक रेफरेन्स संख्या 134/2007 बट्टीसिंह बनाम बिरला सीमेन्ट विचाराधीन है। आरआरडी 2017 पेज 627 राजस्थान उच्च न्यायालय तथा आरएलडब्ल्यू 2012 वाल्युम 4 पेज 3281, आरआरडी 1981

पेज 87, आरआरडी 2006 पेज 366 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई निर्णय राजीनामे पर आधारित है तो उसमें कोई भी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार इसमें एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। एक अन्य प्रकरण में अपीलान्ट रेफरेन्स में नहीं गई है। अपीलान्ट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहकर सहमति प्रकट की है। सुरक्षा जोन भी माईनिंग की श्रेणी में आता है जो सीमेन्ट फैक्ट्री का अभिन्न हिस्सा होता है। अपीलार्थी द्वारा मुआवजे की राशि प्राप्त कर इसका लाभ उठाया जा चुका है जिसके कारण अब वह कोई रेफरेन्स/अपील करने का विधिक अधिकार नहीं रखता है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं समझौता कर अवार्ड राशि का उपभोग कर लिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सेफ्टी जोन माईनिंग की श्रेणी में ही आता है क्योंकि सुरक्षा जोन सीमेन्ट फैक्ट्री का अभिन्न हिस्सा होता है। यदि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं था तो चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायालय में जमा कराना चाहिये था तथा रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिये था जो कि नहीं किया गया। ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समझौते के आधार पर पारित अवार्ड जारी करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 26/1995 में पारित निर्णय दिनांक 23/07/1997 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़